484

152

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3 (42)नविवि / 3 / 2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक 01 OCT 2013

आदेश

राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 3 (42)नविवि / 2 / 13 दिनांक 20.04.13 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि परिधिय क्षेत्रों में स्वयं की खातेदारी / सहखातेदारी की कृषि भूमि पर निर्मित आवास (अधिकतम 500 वर्गमीटर तक) का नियमितिकरण किये जाने हेतु निर्धारित अवधि तक आवेदन कर दिया जाता है तो उक्त निर्मित आवास का नियमितिकरण निःशुल्क किया जायेगा तथा अन्य शुल्क देय नही होगें।

उपरोक्त परिपत्र की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त भूखण्ड को नियमितिकरण करते समय निम्न प्रक्रिया एवं शर्तो की पालना की जावेगी :-

1. उपरोक्त परिपत्र के संबंध में 500 वर्गमीटर के पट्टे देने हेतु संबंधित काश्तकार के एक प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा (प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न है)
2. काश्तकार 500 वर्गमीटर भूमि काश्तकार प्राधिकरण / न्यास / स्थानीय निकाय को निशुल्क समर्पित करेगा एवं राजस्व अभिलेख में भूमि प्राधिकरण / न्यास / स्थानीय निकाय के नाम दर्ज करवाकर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में अंकन करवाकर प्रति पेश करेगा। यह कार्य संबंधित तहसीलदार द्वारा 7 दिवस में पूर्ण कर स्थानीय निकाय को सूचित किया जायेगा अन्यथा प्रक्रिया स्वतः ही पूर्ण मानी जावेगी।
3. पहुंच मार्ग की जिम्मेदारी काश्तकार की होगी।
4. काश्तकार द्वारा सहखातेदारों की सहमति पेश की जावेगी।
5. अन्य विकास कार्यो की मांग उस क्षेत्र में प्राधिकरण / न्यास / स्थानीय निकाय योजना की क्रियान्विति होने तक नही करेगा, का विवरण देना।

उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

(433)

क्रमांक :प. 3 (42)नविवि / 3 / 2013 पार्ट जयपुर, दिनांक 1 OCT 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व / वित्त विभाग।
7. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान।
9. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
10. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
11. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का राजपत्र के असाधारण अंक के आगामी दिनांक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
14. समस्त अध्यक्ष / सचिव, नगर विकास न्यास।
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

(434)